मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

दिनांक 04.4.22

क्रमांक एफ 3–120/2021/18–5 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18(3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित दमोह विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूचि में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेवसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है, तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोडकर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1 अवर सचिव म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल एनेक्सी भवन–2, मंत्रालय भोपाल, मध्य प्रदेश
2 आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0
3 कलेक्टर, जिला दमोह म0प्र0
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पलिका परिषद, दमोह
5 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय– सागर म0प्र0

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित उपांतरण
1	2	3
1	**अध्याय 4** **मानचित्र क्रमांक 4.1 दमोह विकास योजना 2035 (प्रारूप) प्रस्तावित भूमि उपयोग** **ग्राम लाडनबाग**	**अध्याय 4** **मानचित्र क्रमांक 4.1 दमोह विकास योजना 2035 (प्रारूप) प्रस्तावित भूमि उपयोग** ग्राम लाडनबाग के खसरा क्रमांक 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 117, 116, 119, 189 एवं 190 के अंश भाग पर प्रारूप विकास योंजना के उपरोक्त खसरों के अंश भाग के उपयोगों को विलोपित करते हुए 18.00 मीटर चौडा वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग प्रस्तावित है।
2	**अध्याय 3** **मानचित्र क्रमांक 3.2 दमोह विकास योजना 2035 (प्रारूप) प्रस्तावित यातायात प्रणाली उपयोग** **ग्राम लाडनबाग**	**अध्याय 3** **मानचित्र क्रमांक 3.2 दमोह विकास योजना 2035 (प्रारूप) प्रस्तावित यातायात प्रणाली उपयोग** **ग्राम लाडनबाग** ग्राम लाडनबाग के खसरा क्रमांक 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 117, 116 119, 189 एवं 190 के अंश भाग पर 18.00 मीटर चौडा मार्ग वृत्त खण्ड स्तरीय प्रस्तावित है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव म0 प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रलय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग